प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक विविध याचिका क्रमांक 50/2007

याचिकाकर्ता - रानू गुप्ता, आयु लगभग 35 वर्ष, पिता स्व. श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता, व्यवसाय – वीडियो गेम पार्लर, निवासी हमालपारा, वार्ड क्रमांक 24, शनि मंदिर लाइन, तहसील एवं जिला राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी - छत्तीसगढ़ राज्य

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत याचिका

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थितिः-

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता सहित श्री शशि भूषण, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री जी. के. बेरीवाल, उप महाधिवक्ता, राज्य की ओर से।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 02.05.2007

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश,

सुना गया।

यह याचिका दिनांक 14.12.2006 को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) द्वारा दांडिक पुनरीक्षण क्रमांक 135/2006 में पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) द्वारा दिनांक 24.11.2006 को पारित उस आदेश की पुष्टि की, जिसके माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा

457 के अंतर्गत जब्त संपत्तियों को सुपुर्दनामा पर जारी करने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

यह निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ता रानू गुप्ता वीडियो गेम पार्लर चलाने के लिए लाइसेंसधारी था। वह आबकारी विभाग को कर अदा करता था तथा उक्त पार्लर संचालन हेतु उसे कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस प्रदान किया गया था।

अपराध क्रमांक 461/2006, जो कि सार्वजनिक द्यूत अधिनियम की धारा 3 एवं 4-क के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया था, की विवेचना के दौरान दिनांक 02.09.2006 को याचिकाकर्ता के कब्जे से विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत उपकरणों के साथ-साथ कुछ नगद राशि भी जब्त की गई। इस संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा उसी दिन एक जब्ती पत्रक भी तैयार किया गया, जिसकी प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

जब्ती के पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा जब्त सामग्री एवं मुद्रा को सुपुर्दनामा पर मुक्त करने हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए आवेदन निरस्त कर दिया कि उक्त सामग्री साक्ष्य के दौरान आवश्यक हो सकती है, अतः उसे याचिकाकर्ता को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने सत्र न्यायालय में दांडिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, किंतु सत्र न्यायालय ने भी समान दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। उक्त सत्र न्यायालय के आदेश के विरुद्ध ही याचिकाकर्ता ने जब्त सामग्री को सुपुर्दनामा पर मुक्त कराने के लिए इस न्यायालय की शरण ली है।

मैंने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा इस प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 न्यायालय को दांडिक विचारण के दौरान संपत्ति के संबंध में उपयुक्त आदेश पारित करने का अधिकार प्रदान करती है। इस प्रावधान के अनुसार, संबंधित न्यायालय को जांच या विचारण की समाप्ति तक संपत्ति की समुचित अभिरक्षा हेतु आदेश पारित करना चाहिए, अथवा आवश्यक साक्ष्य अभिलेखित करने के

पश्चात उसे विक्रय या अन्य प्रकार से निराकृत करने का आदेश दे सकता है। यदि संपत्ति शीघ्र एवं स्वाभाविक रूप से नष्ट होने वाली हो, तो उसके शीघ्र निराकरण का भी आदेश दिया जा सकता है।

इस शक्ति का प्रयोग त्वरित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए, क्योंकि शीघ्र कार्यवाही न होने पर वस्तु के स्वामी को उसके अनुपयोगी पड़े रहने या कभी-कभी उसके दुरुपयोग/गबन के कारण हानि उठानी पड़ सकती है। साथ ही, न्यायालय या पुलिस को भी विचारण की समाप्ति तक उक्त वस्तु को सुरक्षित रखने का अनावश्यक भार नहीं उठाना पड़ेगा। यदि संपत्ति कोई वाहन हो (यद्यपि वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है), तो उसका शीघ्र निराकरण और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ऐसे जब्त वाहन को लंबे समय तक थाना परिसर में रखने से वह अंततः कबाड़ बन जाता है और उसकी मशीनरी एवं अन्य भाग किसी के लिए उपयोगी नहीं रह जाते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

वर्तमान प्रकरण में यह निर्विवाद है कि जब्त की गई नगद राशि को छोड़कर शेष सभी वस्तुएँ इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत उपकरण हैं, जो यदि बिना उपयोग एवं उचित रख-रखाव (जैसे धूल आदि से संरक्षण) के रखी जाएँ, तो निश्चित रूप से अनुपयोगी हो जाएँगी। ऐसी स्थिति में उनका मूल्य भी घट जाएगा और वे न तो अभियोजन के लिए और न ही बचाव पक्ष के लिए किसी उपयोग की रहेंगी।

यहाँ तक कि यदि उक्त संपत्ति जब्ती/जब्तिकरण के अधीन भी हो, तब भी दोनों पक्षों के हित में यही होगा कि उसे उचित एवं सुरक्षित अवस्था में रखा जाए, ताकि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के समान मूल्यवान बनी रहे और अंततः जिसे भी वह संपत्ति प्राप्त हो, उसे वह अच्छी अवस्था में प्राप्त हो सके।

प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत उपकरणों का संबंध है, मेरा यह मत है कि उन वस्तुओं को कुछ शर्तों के अधीन याचिकाकर्ता को वापस किया जाना चाहिए।

अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 02.09.2006 के जब्ती पत्रक में वर्णित विनिर्देश के अनुसार जब्त की गई समस्त वस्तुएँ, नगद राशि को छोड़कर, निम्नलिखित शर्तों पर याचिकाकर्ता को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द की जाएँ:

(1) वह 50,000/- रुपये की राशि का सुपुर्दनामा निष्पादित करेगा।

(ii) वह विचारण की समाप्ति तक उक्त संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को न तो बेचेगा और न ही स्थानांतरित करेगा।

(iii) वह उक्त संपत्ति पर किसी तृतीय पक्ष का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं करेगा।

(iv) वह विचारण के दौरान जब भी न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाए, संपत्ति को प्रस्तुत करेगा।

(v) वह 50,000/- रुपये की राशि का एक सक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा, जो याचिकाकर्ता द्वारा निष्पादित सुपुर्दनामा की शर्तों के पालन को सुनिश्चित करेगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं।

उपरोक्त शर्तों के अधीन याचिका स्वीकार की जाती है।

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही**

अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur